न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–54 सन् 2017

मु0 पार्वती कुंअर.....वादिनी।

बनाम

मु0 रामावती कुंअर व अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 16.05.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 17 नियम 18 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 19.07.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से आवेदन में कथन है कि वादी गरीब, कमजोर महिला है उसको कानून की जानकारी नहीं है तथा वादी उम्र दराज महिला है। उसके पति की मृत्यु हो चुकी है तथा उक्त वाद में इस फ्रेम दिनांक 12.04.2019 को हो गया है तथा वादी को निर्देश हुआ कि वादी अपना साक्ष्य प्रस्तुत करे। तब तक वादी की तबियत खराब हो गई। जब वादी की तबियत ठीक हुई तो वादी अपना साक्ष्य लेकर के आयी तो पता चला कि वादी की साक्ष्य दिनांक 24.01.2020 को बंद हो गया है। कोविड महामारी की बीमारी फैल जाने से न्यायालय की कार्रवाई बाधित थी जिसके कारण वादी के तरफ से रिकॉल आवेदन दाखिल नहीं हो सका। वादी के तरफ से एक भी साक्ष्य नहीं दिया गया है। वादी की साक्ष्य नहीं होने से अपार क्षति है। अतः निवेदन है कि न्यायालय के आदेश दिनांक 24.01.2020 को रिकॉल कर वादी के तरफ से साक्ष्य देने हेतु अनुमति प्रदान की जाए ताकि न्याय हो सके।

प्रतिवादी की ओर से उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 28.02.2023 को दाखिल कर कथन है कि न्यायालय द्वारा 12.04.2019 को साक्ष्य देने का आदेश वादी को दिया गया। उस आदेश का अनुपालन वादी ने 24.01.2020 तक नहीं किया जिसके कारण न्यायालय द्वारा वादी का साक्ष्य बंद कर दिया गया। वादी द्वारा आवेदन के कंडिका 1 में वादी का तबियत खराब हो गया का उल्लेख किया गया है किंतु कोई भी चिकित्सीय प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया गया है। वादी द्वारा जानबूझकर तंग वो परेशान करने के ख्याल से दाखिल किया गया है। साक्ष्य रिकॉल होने से प्रतिवादी को अपूर्णिय क्षति है। वादी की ओर से रिकॉल आवेदन बहुत ही विलंब से दाखिल किया

गया है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रतिउत्तर स्वीकार करते हुए वादी के आवेदन को भारी खर्चा के साथ रिकॉल किया जाए, अन्यथा रिकॉल अर्जी खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादिनी न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2020 को रिकॉल कराने हेतु दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि वादी की तबियत खराब हो जाने के बाद जब वह न्यायालय आई तो पता चला कि न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2020 को उनका साक्ष्य बंद कर दिया गया है परंतु कोविड के कारण उन्होंने रिकॉल आवेदन भी दाखिल नहीं किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी को न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2019 को साक्ष्य हेतु अंतिम आदेश दिया गया, जिसके पश्चात् न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2020 को वादी का साक्ष्य बंद कर दिया गया है। वाद के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए वादी की ओर से न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2020 को रिकॉल कराना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 19.07.2022 को 1000/—रूपये खर्चा के साथ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2020 रिकॉल हेतु दाखिल आवेदन को न्यायाहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे खर्च की राशि प्रतिवादी को प्रदान कर अपना साक्ष्य पूर्ण करें। वाद दिनांक .....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुन्सिफ
सोनपुर सारण।